तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवा दनाम हरलाल राजस्व वाद संख्या 24/20 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में
21.09.2020	पत्रावली अप्रार्थी/प्रतिवादी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई प्रार्थी/वादी अभिभाषक को दिलाते हुए प्रस्तुत किया। पक्षकारान के अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज ही तलब कर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष पेश हुई। अप्रार्थी/प्रतिवादी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस सुने जाने का निवेदन किया। पक्षकरान के अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थी/वादी अभिभाषक ने निवेदन किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी को रहन,बैचान व मुन्तकिल करने पर सख्त आमादा है। प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी को दिनांक 14.09.2020 को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जा चुका है। उक्त आदेश को यथावत रखा जावे जिसका अप्रार्थी द्वारा विरोध कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का रहन,बैचान नही किया जा रहा है। हमने उभय पक्ष के अभिभाषक को सुना तथा रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 14.09.2020 को जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा पक्षकरान को सुन कर जारी की गई है परन्तु उक्त आराजी मे दोनो पक्षो का 1/2–1/2 हिस्सा है इस प्रकार उभय पक्ष सह–खातेदार है इसलिए हमारे विनम्र मत मे उभय पक्ष को विवादित आराजी को रहन,बैचान व मुन्तकिल किये जाने की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। पक्षकरान को उक्त निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, हक–अधिकारो का निस्तारण मूल वाद मे तय किया जाना है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष आराजी को रहन,बय,मुन्तकिल नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर	

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 11:4
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner